101

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ।।।/निगरानी/भिण्ड/भू0रा0/2017/2560

श्रीमती आरती पत्नी जगत नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी मिहोना वार्ड क0 5 तह0 व जिला भिण्ड म0प्र0 ....आवेदिका

बनाम

1–श्रीमती गिरजा शर्मा पत्नी रामकेश जाति ब्राहम्ण निवासी मिहोना वार्ड क0 6 तह मिहोना जिला भिण्ड

2–मयंक पुत्र भानूप्रताप शर्मा

3–रश्मि उर्फ बेबी पत्नी भानूप्रताप निवासी टीकाराम वाली गली भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड

........................अनावेदिका

श्री श्री कृपाल शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 11.8.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11.8.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28/07/2017 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय लहार के प्र0क 45/16–17 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम मिहोना तह0 मिहोना जिला भिण्ड में स्थित **कृषि भूमि सर्वे क0** 2225 को भूमि स्वामी गुड्डी पुत्री लोकनाथ से जर्ये रजि0 **विक्रय पत्र दिनांक** 27/07/2005 द्वारा आवेदिका आरती द्वारा कय की।

2– यह कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय मिहोना में **नामान्तरण हेतु आवेदन** पत्र प्रस्तुत किया। तहसील के प्र0क0 29/06–07x3/6 **मे पारित आदेश** दिनांक 03/08/2010 द्वारा नामान्तरण स्वीकार **किया गया जिसके** विरूद्व अनावेदिका द्वारा एस0डी0ओ0 महोदय लहार के **समक्ष अपील** प्रस्तुत की। ... पर पंजीबद्व की जाकर पारित आदेश दिनांक

XXIX(a)-BR(H)-11

(101)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2560

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से ,अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 21-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	